



न्यायालय अति० आयुक्त, भोपाल

A-711-PB-16 - प्र.कं. /अ/14-15

1. बाबू सिंह एवं
2. राम सिंह पुत्रगण दिलीप सिंह

ग्राम पापड़ा तह० बेगमगंज

अपीलार्थी

विरुद्ध

म०प्र० शासन

प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म०प्र० भू-राजस्व संहिता

महोदय,

अपीलार्थी, न्यायालय अ०वि० अधिकारी बेगमगंज द्वारा प्र०कं० 41/अ-68/13-14 में पारित आदेश दिनांक-5/5/15 से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक से यह अपील समयाविध में प्रस्तुत कर रहा है ।

असेना अर्द्धि

दि० 30/6/15

//तथ्य//

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार

बेगमगंज द्वारा प्र०कं० 4/25/68/14-15

[पीछ देखिये]

A.711-PBR/16 समय

6

28.4.2016

4/82

आवेदनगण की और से श्री
 श्रीज श्रीवालय आगेभाषक उपाध्यक्ष।
 ग्राह्यता पर युवा गया। अधीनस्थ चामावर्गों
 के आदेशों की सत्य प्रामाणिकता का अन्वेषण
 किया गया। यह निगतनी अनुविभागीय
 अधिकारी के आदेश दिनांक 5.5.2015
 के विरुद्ध 30.6.2015 को एक वर्ष
 पश्चात् प्रस्तुत की गई है, और अनुपाद्यता
 का कारण श्रुतिवश अनुभव के समझ
 निगतनी प्रस्तुत कला बनाया गया है,
 जो समाधानकारक कारण नहीं है।
 जहाँ तक प्रकल्प के गुणोत्पत्ति का प्रश्न है,
 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण
 आदेश पालने का पुनर्विलोकन की
 अनुमति नहीं दी गई है, जिसमें किली
 प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं है। अतः,
 यह निगतनी प्रथम इच्छा अन्वेषण बाह्य रूप
 से आकार देने से अग्रगण्य की जाती है।

अध्यक्ष